न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 118/2016

उनवान

1. मोहनी पुत्री लादू
2. रूकमा पुत्री लादू समस्त जाति दरोगा, निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद

——वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सूरजकरण पुत्र लादू,
2. कमला पत्नी हरकरण,
3. रामेश्वरी पि0 हरकरण,
4. मनभर,
5. महावीर,
6. सुखदेव,
7. प्रेम पि0 रामकरण,
8. बदाम पत्नी रामकरण
9. नर्बदा पत्नी अमरा,
10. कालू,
11. जितेन्द्र,
12. रेखा पि0 अमरा जाति दरोगा नि0 नान्दला, नसीराबाद,
13. रामी पत्नी महीपाल जाति जाट नि0 नान्दला, नसीराबाद,
14. ब्रजपाल पुत्र श्रीकिशन जाट नि0 नान्दला, नसीराबाद,
15. कालू सिंह पुत्र धूल सिंह जाति ईसाई नि0 नसीराबाद,
16. उप पंजीयक नसीराबाद, तहसीलदार नसीराबाद
17. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

——— प्रतिवादीगण :— 16 व 17 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 30/7/25

वादीगण ने जरियें अधिवक्ता श्री ... वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला में वादीगणव प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला खसरा नम्बर	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1962	2259	2—13—10	1906	0.43
1969	2266	1—19—10	1905	0.32
1968	2265	0—6—0	1904	0.05
1970	2267	0—4—10	1909	0.03
1971	2268	0—8—10	1908	0.07
1972	2269	1—10—0	1910	0.24
1974	2271	2—4—0	1868 मिन	0.08
1975	2274	0—9—10	1868 मिन	0.16
2174	2486 मिन	1—13—10	2182	0.37
2175	2486 मिन	0—7—0		
2175	2487	2—9—0	2179	0.40
1991	2290	3—3—10	1911	0.51

उक्त आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में वादीगण के पिता लादू पुत्र गिरधारी की खातेदारी व कब्जा काश्त की थी। लादू पुत्र गिरधारीकी मृत्यु हो गयी है। लादू पुत्र गिरधारीके चार पुत्र रामकरण, हरकरण, अमरा, सूरजकरण व 2 पुत्री मोहनी व रूकमा हैं। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर प्रत्येक वारिस का बराबर–बराबर 1/6 हिस्सा निहित है। रामकरण की मृत्यु हो गयी है, के वारिस प्रतिवादी संख्या 5 से 8 है। सूरजकरण प्रतिवादी संख्या 1 हैं। हरकरण की मृत्यु हो गयी है के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 4 है। अमरा की मृत्यु हो गयीी है, के वारिस प्रतिवादी स्ंख्या 9 से 12 है। लादू पुत्र गिरधारी की 2 पुत्री वादीगण हैं। इस प्रकार पुत्रो के साथ वादीगण प्रत्येक का उक्त आराजी पर 1/6 हिस्स निहित है। अमरा के द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 को विक्रय करने से प्रतिवादी संख्या 13 का 1/6 हिस्स अमरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 से 12 के स्थान पर निहित है। प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 रामी का हिस्सा क्रय करने से रामी के स्थान पर हक व हिस्सा निहित है। उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी में वादीगण क पिता लादू पुत्र गिरधारी के नाम खातेदारी दर्ज थी, जिनकी मृत्यु होने के बाद जरियें विरासत वादीगण के भी नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से मात्र पुत्रों के व बद मं प्रतिवीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। आराजी मुतनाजा पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कबजे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतारण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को आराजी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 व 12 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 9 व 12 के नाम दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी का कितना रकबा है, इसका अंकन नही किया हैं। मौके पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं। वाद पत्र मिथ्या तथ्यों पर पेश किया है अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश किया जावेगा।

प्रकरण में वाद पत्र व जवाब के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी :–

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमतान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण दुरूस्ती के अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. आया वादीगण आराजी मुतनाजा पर विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

वाद विचारण के दौरानप्रतिवादी संख्या 9 व 12 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् पारित किया जाता है :—

तनकी संख्या 1 :—

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार ग्राम नान्दला की आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 468/498 में आराजी मुतनाजा लादू पुत्र गिरधारी के वारिस रामकरण, हरकरण, अमरा व सूरजकरण पुत्रगण लादू के नाम खातेदारी दर्ज थी। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में उक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर लादू पुत्र गिरधारी के नाम खातेदारी दर्ज थी। लादू पुत्र गिरधारी की मृत्यु हो गयी है। लादू पुत्र गिरधारी के चार पुत्र रामकरण, हरकरण, अमरा, सूरजकरण व 2 पुत्री मोहनी व रूकमा हैं। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर प्रत्येक वारिस का बराबर—बराबर 1/6 हिस्सा निहित है। रामकरण की मृत्यु हो गयी है, के वारिस प्रतिवादी संख्या 5 से 8 है। सूरजकरण प्रतिवादी संख्या 1 हैं। हरकरण की मृत्यु हो गयी है के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 4 है। अमरा की मृत्यु हो गयीी है, के वारिस प्रतिवादी स्ख्या 9 से 12 है। लादू पुत्र गिरधारी की 2 पुत्री वादीगण हैं। इस प्रकार पुत्रो के साथ वादीगण प्रत्येक का उक्त आराजी पर 1/6 हिस्स निहित है। अमरा के द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 को विकय करने से प्रतिवादी संख्या 13 का 1/6 हिस्स अमरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 से 12 के स्थान पर निहित है। प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 रामी का हिस्सा कय करने से रामी के स्थान पर हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चौसाला जमाबंदी में दर्ज खातेदार लादू पुत्र गिरधारी के मृत्यु के बाद आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी में लादू पुत्र गिरधारी के चार पुत्र रामकरण, हरकरण, अमरा, सूरजकरण के नाम ही अंकित कर दी गयी, जबकि वादीगण भी लादू पुत्र गिरधारी की पुत्री होने के कारण उक्त आराजी पर हक व अधिकार प्रापत करने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 9 व 12 ने अपने जवाब में वादीगण को लादू पुत्र गिरधारी के वारिस नही होने का कोई अंकन नही किया है। वीगण निर्विवाद रूप से लादू पुत्र गिरधारी की पुत्री होने से जायन्दा वारिस है। हाल खसरा नम्बर 2179 व 2182 पर रामकरण के वारिस का 1/4 हिस्स अंकित है तथा 3/4 हिस्सा कालू सिंह पुत्र फूल सिंह प्रतिवादी संख्या 15 के नाम दर्ज है। किन्तु कालू सिंह द्वारा कौन से वारिस का कितना हिस्सा कय किया है, उसके द्वारा उक्त खसरा नम्बर कब कय किये गये यह वादीगण ने स्पष्ट नही किया है। अतः हाल खसरा न[illegible] रामकरण के वारिस के साथ ही हक व अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी [illegible] आराजी वंर्किग जमाबंदी में लादू पुत्र गिरधारी के 4 पुत्रों के नाम खा[illegible] अमरा पुत्र लादू द्वारा अपना हिस्सा रामी पत्नी महिपाल क[illegible]न्तकरण संख्या 295 दिनांक 20.04. 2004 द्वारा केता के नाम दर्ज हुआ। वर्तमान में उ[illegible] आराजी पर रामी पत्नी महावीर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:18 IST
Reason: SelfAttested

—4

1/4 हिस्सा दर्ज है। रामी पतनी महावीर द्वारा अपना हिस्सा विक्रय करने से नामानतकरण संख्या 959 दिनांक 05.02.2014 द्वारा रामी पत्नी महावीर का 1/4 हिस्सा ब्रजपाल पुत्र श्ररीकिशन के नाम अंकित है। किन्तु वादीगण काभी आराजी मुतनाजा पर हक निहित होने के कारण अमरा पुत्र लादू विक्रेता का 1/6 हिस्सा ही विक्रय द्वारा रामी पत्नी महावीर व उसके बाद ब्रजपाल पुत्र श्रीकिशन के नाम दर्ज होना चाहिये।

प्रतिवादीगण द्वारा भूमि के स्व अर्जित होने के कोई प्रमाण भी पत्रावली में पेश नही किये है। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। न्यायालय का यह मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 32601/2018 विनिता शर्मा बनाम राकेश में पारित आदेश 11.08.2020 के अनुसार सहदायिक बनने या सहदायिक बनने के लिये यह आवश्यक नही है कि पूर्ववती सहदायिक जीवित हो। जन्म से पुत्री को अधिकार दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा तथा संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई पुत्रियॉ पैतृक सपंति में धारा 6 के अनुसार सहदायिक मानी जावेगी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के पेरा संख्या 129 से भी वादीगण के कथनों की ताईद होती है। लादू पुत्र गिरधारी के हिस्से की आराजी पर उसके समस्त विधिक वारिसान खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार वीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी की पुश्तेनी है, जिस पर विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। ऐसी स्थिति में सभी विधिक वारिसान का नाम राजस्व अभिलेख में अकिंत कर भूमि का विभजन किया जाना न्यायोचित है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1868/0.24, 1905/0.32, 1906/0.43, 1908/0.07, 1909/0.03, 1910/0.24 व 1911/ 0.51 की आराजी पर वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 14 को 1/6 हिस्से का व हाल खसरा नम्बर 2179 रकबा 0.40, 2182 रकबा 0.37 पर प्रतिवादी संख्या 15 को 3/4 हिस्से का वादी संख्या 1 को 1/12 हि0 वादी संख्या 2 को 1/12 हि0 व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को 1/12 हि0 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। व समस्त खातेदारों के मध्य आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:18 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मोहनी बनाम सूरजकरण

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 118/2016
पेश करने की दिनांक – 21.07.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1868/0.24, 1905/0.32, 1906/0.43, 1908/0.07, 1909/0.03, 1910/0.24 व 1911/0.51 की आराजी पर वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 14 को 1/6 हिस्से का व हाल खसरा नम्बर 2179 रकबा 0.40, 2182 रकबा 0.37 पर प्रतिवादी संख्या 15 को 3/4 हिस्से का वादी संख्या 1 को 1/12 हि0 वादी संख्या 2 को 1/12 हि0 व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को 1/12 हि0 का खातेदार घोति किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। व समस्त खातेदारों के ममध्य आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही करावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 7 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद